कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक 1363/14–1 ,आगरा, दिनांक, 18 ,सितम्बर, 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :– मथुरा–वृन्दावन–मॉट–नौहझील मार्ग (MDR-123) के चैनेज 30.882 के दांयी ओर ग्राम–सुरीरकलॉ बॉगर के खसरा सं0–1025 खाता सं0–627 में एच0पी0सी0एल0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग हेतु 0.049172 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ :– आपके कार्यालय का पत्रांक 86/मथुरा/23090/2016 दिनांक 13.07.2017

महोदय,

विषयांकित प्रकरण में आपके द्वारा सन्दर्भित पत्र द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण निम्नवत है :–

क्र0 सं0	आपत्ति	आख्या
1.	1:50000 स्केल के फुल साइज रंगीन टोपोशीट पर प्रस्तावित स्थल को स्पष्ट अंकित कर संलग्न नहीं किया गया है ।	याचक विभाग के द्वारा प्रश्नगत आपत्ति का निराकरण कर दिया गया है, जो प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–37 पर संलग्न है।
2.	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर प्रयोक्ता एजेन्सी की ओर से आवेदक के हस्ताक्षर अंकित नहीं है तथा रिपोर्ट में वृक्ष के पातन के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।	याचक विभाग के द्वारा उक्त त्रुटि का निराकरण कर दिया गया है तथा प्रस्तावित परियोजना में कोई वृक्ष अवस्थित नहीं है, जो प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–63 पर संलग्न है।
3.	ऑनलाइन पार्ट–2 के अनुसार बाधक वृक्षों की संख्या शून्य प्रतीत होती है किन्तु संरक्षित वन भूमि घोषित किए जाने वाले गजट में सम्बन्धित मार्ग को रंगीन पैन से चिन्हित नहीं किया गया है ।	ऑनलाइन पार्ट–2 में जो बाधक वृक्षों की संख्या शून्य दर्शाई गई है वह सही है तथा प्रस्तावित परियोजना के गजट नोटिफिकेशन में सम्बन्धित मार्ग को रंगीन पैन से चिन्हित कर दिया गया है, जो प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–54 पर संलग्न है।
4.	मानक शर्तो के शासनादेश पर प्रयोक्ता एजेन्सी के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित कराऐं ।	याचक विभाग के सम्बन्धित अधिकारी के सम्बन्धित अभिलेख पर हस्ताक्षर कर दिए है, जो प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–42 व 43 पर संलग्न है।
5.	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल को 1:50000 स्केल के फुल साइज रंगीन टोपोशीट पर चिन्हित कर संलग्न नहीं किया गया है।	उक्त त्रुटि का निवारण कर दिया गया है, जो प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–61 पर संलग्न है।
6.	क्षतिपूरक वनीकरण पर आने वाले व्यय को जमा करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी की बचनबद्धता पर अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है ।	याचक विभाग के द्वारा उक्त बचनवद्धता पर हस्ताक्षर कर दिए गए है, जो प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–39 पर संलग्न है।
7.	प्रस्तावित वन भूमि की एन0पी0वी0 जमा करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी की बचनबद्धता पर अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है ।	याचक विभाग के द्वारा उक्त बचनवद्धता पर हस्ताक्षर कर दिए गए है, जो प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–40 पर संलग्न है।
8.	चिन्हित वन स्वरूप भूमि के सम्बन्ध में प्रयोक्त एजेन्सी के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है ।	याचक विभाग के द्वारा चिन्हित वन स्वरूप भूमि के सम्बन्ध प्रयोक्ता अभिकरण के विधिवत हस्ताक्षर कर दिए गए है, जो प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–49 पर संलग्न है। ।
9.	प्रस्ताव के साथ संलग्न लो0नि0वि0 द्वारा अनुमोदित ले–आइट प्लान पर प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। सील सहित हस्ताक्षर अंकित करायें।	उक्त त्रुटि का निवारण कर दिया गया है, जो प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–33 पर संलग्न है।

10.	मक डिस्पोजल योजना सम्बन्धी प्रमाण पत्र पर प्रयोक्त एजेन्सी के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है ।	याचक विभाग के नामित अधिकारी से उक्त त्रुटि का निस्तारण कर दिया गया है, जो प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–51 पर संलग्न है।
11.	प्रस्तावित वन भूमि के डिजीटल मैप पर समस्त (Key Point) के अक्षांश व देशान्तर अंकित नहीं है ।	याचक विभाग के द्वारा उक्त त्रुटि का निस्तारण कर दिया गया है, जो प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–36 पर संलग्न है।
12.	वन संरक्षक आगरा द्वारा ऑन लाइन संस्तुति अंकित कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं की गई है।	अधोहस्ताक्षरी द्वारा ऑनलाइन संस्तुति कर प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दी गई है।
13.	प्रस्ताव के पृष्ठ–38 से 67 तक किसी भी अभिलेख में प्रयोक्ता एजेन्सी के समक्ष अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है ।	याचक विभाग के नामित अधिकारी के सम्बन्धित पृष्ठ पर हस्ताक्षर अंकित करा दिए गए है।
14.	प्रस्ताव के पृष्ठ–38, 39 व 41 की आवश्यकता नहीं है । इसे प्रस्ताव से पृथक करने का कष्ट करें ।	दिए गए निर्देशों के अनुसार उक्त पृष्ठों को पृथक कर दिया गया है ।
15.	उपरोक्तानुसार सूचनाओं को पूर्ण करने के उपरान्त प्रस्ताव पर पृष्ठ संख्या एवं विषय सूची को अपडेट करने का कष्ट करें ।	निर्देशों का पालन कर दिया गया है ।

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा से प्राप्त प्रमाण–पत्र के आधार पर "प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त प्रेषित प्रस्ताव का भली–भॉति परीक्षण कर लिया है तथा अधोहस्ताक्षरी इस बात से पूर्णतः संतुष्ट है कि यह प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत निर्गत आदेशों व दिशा–निर्देशों के अनुरूप है तथा समस्त वॉछित अभिलेख/सूचनाऐं संलग्न हैं"।

अतः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा से प्राप्त विषयांकित संशोधित प्रस्ताव 03 प्रतियों में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत कराने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

18/9/17

(रमेश कुमार पाण्डेय)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक / 2–1 दिनांकित ।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा को उनके पत्रांक 813/14–1 दिनांक 06.09.2017 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0, इस्पात भवन, तृतीय मंजिल, संजय प्लेस, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश कुमार पाण्डेय)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।